

12/8/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में बहील वाही एवं ~~बही~~वाही गण्डे नाम तीन बार अलग - 2 समय में आवजे लगाई गई। कोई हाजिर नहीं। इससे प्रतीत होता है कि वाही एवं बहील वाही अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। लिहाजा वाही का वाद "अदम चरवी एवं अदम हाजिरी" में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

-सह्या 8
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

